न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया आर.ए.एस.

दावा सं0	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/55	04.04.2023	21.10.2024

बउनवान

01. महेश चन्द पुत्र रामकुंवार यादव
02. सन्तोष कुमार यादव पुत्र रामकुंवार यादव
03. सोनू कुमार पुत्र रामकुंवार यादव जातियान–अहीर निवासीयान माधोबास तहसील मालाखेडा

वादीगण

बनाम

01. मुफीद पुत्र अयूब निवासी गाजुका तहसील अलवर
02. रूकसीना पत्नी मुफीद निवासी गाजुका तहसील अलवर
03. अकरम पुत्र ईसब मेव निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा
04. रज्जी पुत्र ईसब मेव निवासी पृथ्वीपुरा तहसील मालाखेडा

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वकील वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 58, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 हैक्टेयर ग्राम माधोबास तहसील मालाखेडा वादीगण की सालिम कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसमे वादीगण का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा सालिम कब्जे काश्त खातेदारी का है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई लेना–देना नही है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो वादीगण की जमीन को हडपने की मंशा से नजर बनाये हुये है जिसके लिये प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त मे रूकावट व मजाहमत पैदा करते है व वादीगण पर नाजायज दबाव बनाते है। दिनांक 31.03.2023 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की विवादित आराजी पर कब्जा करने की नियत से वादीगण पर हमला कर दिया ओर वादीगण के साथ हिंसा व मारपीट करना आरम्भ कर दिया तथा वादीगण ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने की नियत से अपने साथ 20–25 लोगो को बुला लिया तथा कहने लगे कि या तो वादीगण विवादित आराजीयात को ओने पोने दामो मे बेच दे वरना वह बन्दूक की नोक पर विवादित आराजीयात पर कब्जा कर वादीगण को जबरन बेदखल कर देगें तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को जान से मारने की धमकी दी। यदि प्रतिवादीगण वादीगण की विवादित आराजीयात पर जबरन कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज0

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड तलवी न्यायालय मे हाजिर नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण मे साक्ष्य आदि लिये जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करने एवं हुक्मइम्तनाई दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद करने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी ग्राम माधोबास सम्वत 2070–2075 खाता संख्या नया 58 मे वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.58 है0, वाके ग्राम माधोबास तहसील मालाखेडा के वादीगण 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। वादी की खातेदारी आराजी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा नही करने एवं वादीगण को जबरन बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को बजर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबंद किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की खाता संख्या 58 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 616 रकबा 0.658 है0 वाके ग्राम माधोबास तहसील मालाखेडा मे किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे, ना ही वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

निर्णय आज दिनांकः 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०